न्यायालय सहायक कलक्टए एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल(नागौर)

पीठासीन अधिकारी–रवीन्द्र कुमार आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र–50 / 2019

प्रार्थी–

1. छोटूराम पुत्र रामकरण जाति प्रजापत
   निवासी– लुणसरा, तहसील–जायल , जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थी–

1. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थित–

1. अभिभाषक श्री मुकेश कुमार बिडियासर एवं गोविन्दराम ढाका
2. राजपैरोकार (तहसीलदार)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956

निर्णय दिनांक :– 14/05/2022

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम छोटुराम पुत्र रामकरण ही है। मगर राजस्व रिकॉर्ड में मौजा लुणसरा तहसील जायल के सम्वत् 2071–2074 खतौनी सं. 912 के खसरा नम्बर 1111 रकबा 8.1400 में प्रार्थी का नाम हनुमानराम पुत्र रामकरण कौम कुम्हार सा देह खातेदार दर्ज है, जबकि प्रार्थी के भामाशाह कार्ड संख्या 1439–ओडब्लूओडब्लू, राशनकार्ड 008277000048 व आधारकार्ड संख्या 9769 8950 1911, पेन कार्ड संख्या सीएमएक्सपीआर8354के, कार्यालय ग्राम पंचायत लूणसरा का दिनांक 10.09.2019 द्वारा प्रमाण पत्र मे प्रार्थी का सही नाम छोटुराम पुत्र रामकरण दर्ज हैं। इस गलत इन्द्राज के कारण प्रार्थी को सरकारी मुआवजा व अन्य प्रकार की ऋण सुविधाओं मे परेशानी आने से प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। जवाबदेही हेतु नियत तारीख पैशी को अप्रार्थी सं. 1 राजपैरोकार ने जवाब जरिये पत्रांक 1656 दिनांक 07.07.2020 को मय हल्का आईएलआर लुणसरा की मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि प्रार्थी का नाम ऑनलाईन जमांबदी संम्वत 2071–2074 स्थायी में हनुमानराम पुत्र रामकरण कौम कुम्हार सा. देह खातेदार दर्ज है। जबकि प्रार्थी खाता संख्या 912 खसरा

14/05/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

नंबर 1111 रकबा 8.1400 हैक्टेयर में खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थी को गांव में वर्तमान में भी हनुमानराम के नाम से जाना व पुकारा जाता है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज भामाशाह कार्ड संख्या 1439–ओडब्लूओडब्लू, राशनकार्ड 008277000048 व आधारकार्ड संख्या 9769 8950 1911, पेन कार्ड संख्या सीएमएक्सपीआर8354के, कार्यालय ग्राम पंचायत लूणसरा का दिनांक 10.09.2019 द्वारा प्रमाण पत्र में नाम छोटुराम पुत्र रामकरण दर्ज है। प्रार्थी को गांव में बोलचाल में हनुमानराम नाम से पुकारने कारण दिनांक 14.02.1981 को जरिये रजिस्ट्री बेचान हुआ था जिसमें प्रार्थी के बचपन का नाम हनुमानराम नामान्तकरण को दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम हनुमानराम दर्ज किया था। उपस्थित मौतबिरानों ने हनुमानराम तथा छोटूराम दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के होना बताया।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में हल्का पटवारी आंवलियासर तहसील जायल की रिपोर्ट, भामाशाह कार्ड संख्या 1439–ओडब्लूओडब्लू, राशनकार्ड 008277000048 व आधारकार्ड संख्या 9769 8950 1911, पेन कार्ड संख्या सीएमएक्सपीआर8354के, कार्यालय ग्राम पंचायत लूणसरा का दिनांक 10.09.2019 द्वारा प्रमाण पत्र तथा नकल खतौनी सम्वत् 2071–2074 खाता संख्या 912, साक्ष्य गवाह के रूप में साक्ष्य शपथ पत्र छोटुराम पुत्र रामकरण जाति कुम्हार, रामकरण पुत्र मुलाराम जाति कुम्हार, लिखमाराम पुत्र गोपाराम जाति जाट, हनुमान पुत्र छोगाराम जाति कुम्हार, मेहराम पुत्र रामकरण, किशनाराम पुत्र मुलाराम, खिंयाराम पुत्र मालाराम के पेश हुवे। वकील वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नहीं करने के निवेदन पर साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थी की सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा राजस्व रिकॉर्ड में लुणसरा के खतौनी सं. 912 में अंकित खसरा नं. 1111 प्रार्थी का नाम हनुमानराम के स्थान पर छोटूराम शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज लुणसरा तहसील के खतौनी सं. 912 में वर्णित खसरान की भूमि जो कि प्रार्थी को पुश्तैनी बडेर की भूमि जो कि खरीदसुदा नामान्तकरण से प्राप्त हुई है तथा खातेदार के रूप में दर्ज है। साक्ष्य गवाह के रूप में साक्ष्य शपथ पत्र छोटुराम पुत्र रामकरण जाति कुम्हार, रामकरण पुत्र मुलाराम जाति कुम्हार, लिखमाराम पुत्र गोपाराम जाति जाट, हनुमान पुत्र छोगाराम जाति कुम्हार, मेहराम पुत्र रामकरण, किशनाराम पुत्र मुलाराम, खिंयाराम पुत्र मालाराम के पत्रावली शामिल मिसल है तथा इसी प्रकार भामाशाह कार्ड संख्या 1439–ओडब्लूओडब्लू, राशनकार्ड 008277000048 व आधारकार्ड

उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) जायल

संख्या 9769 8950 1911, पेन कार्ड संख्या सीएमएक्सपीआर8354के, कार्यालय ग्राम पंचायत लूणसरा का दिनांक 10.09.2019 की फोटो प्रति में प्रार्थी छोटूराम एवं हनुमानराम एक ही व्यक्ति के नाम होने की सम्पुष्टि होती है तथा गवाह के रूप में साक्ष्य शपथ पत्र छोटुराम पुत्र रामकरण जाति कुम्हार, रामकरण पुत्र मुलाराम जाति कुम्हार, लिखमाराम पुत्र गोपाराम जाति जाट, हनुमान पुत्र छोगाराम जाति कुम्हार, मेहराम पुत्र रामकरण, किशनाराम पुत्र मुलाराम, खिंयाराम पुत्र मालाराम व अन्त में अप्रार्थी पक्षकार तहसीलदार जायल की जांच रिपोर्ट के अवलकोन से प्रथम दृष्टया यह साबित है कि प्रार्थी सही नाम जो कि नामान्तकरण के समय छोटूराम के स्थान पर हनुमानराम दर्ज हुआ है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि हनुमानराम एवं छोटुराम दोनो एक ही व्यक्ति है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88 आरटी एक्ट, धारा 136 एलआर एक्ट का मानते हुये हनुमानराम के स्थान पर छोटूराम का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) खाता संख्या 912 में दर्ज खातेदार नाम हनुमानराम पुत्र रामकरण के स्थान पर वास्तविक नाम छोटूराम पुत्र रामकरण दुरूस्त / दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं आरटी एक्ट 1955 की धारा 88 के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम लूणसरा तहसील जायल की नकल जमाबंदी खाता संख्या 912 खसरानं. 1111 में दर्ज नाम हनुमानराम पुत्र रामकरण के स्थान पर छोटूराम पुत्र रामकरण दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।
यह आदेश आज दिनांक 14/05/2022 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

14/05/2022
(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल